झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

4279
13/5/15

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक– 2389, दिनांक 22.12.2008 एवं पत्रांक–1568, दिनांक 03.09.2009
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1996, दिनांक 26.03.2009, पत्रांक–3674, दिनांक 02.06.2009, पत्रांक–6100, दिनांक 05.09. 2009, पत्रांक–2729, दिनांक 12.05.2010, पत्रांक–3456, दिनांक 05.04.2013, पत्रांक–5669, दिनांक 28.06.2013 एवं पत्रांक–7321, दिनांक 12.08.2013, संकल्प सं0–1883, दिनांक 09.04.2011, संकल्प सं0–6500, दिनांक 19.05.2012 तथा संकल्प सं0–11258, दिनांक–22.11.2013
3. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्रांक–4672, दिनांक 06.07.2010
4. श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक–41, दिनांक 31.01.2013

श्री (डॉ0) ज्योति कुमार सिंह, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 890/03, प्रथम बैच, गृह जिला– धनबाद), कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, देवघर के विरूद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक– 2389, दिनांक 22.12.2008 द्वारा प्रपत्र– 'क' मे आरोप विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–723, दिनांक 30.01.2009 के माध्यम से प्राप्त है। प्रपत्र– 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः–

1. दिनांक 24.04.2008 को नरेगा योजना अन्तर्गत जॉब कार्डधारी मजदूरों को काम के एवज में राशि नहीं मिलने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुन की अनुपस्थिति से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, मोहनपुर 12:00 बजे पूर्वाह्न् में तालाबंदी कर दी गई। सरकारी निदेशों के बावजूद इनके द्वारा मुख्यालय में आवासन नहीं किया जाता था, जिसके कारण सरकारी मंशा के अनुरूप आम जनता को स्वच्छ, सचेत एवं जिम्मेवार प्रशासन का लाभ नहीं मिल पाता था तथा जिले में कार्य संस्कृति समुन्नत एवं जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली रूप से समाधान सुनिश्चित् करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था।

2. नरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2007–08 में कुल स्वीकृत 2203 योजनाओं में से 1343 योजना पर ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा कार्य का आरम्भ किया गया एवं शेष 860 योजना पर कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। अनके स्मार के बावजूद इनके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2008–09 की नरेगा योजना अन्तर्गत वार्षिक कार्यकारी योजना समर्पित नहीं किया गया।

3. इनके द्वारा नरेगा से संबंधित विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन स्मारित किये जाने के बाद भी नहीं भेजा गया।

4. इनके द्वारा नरेगा योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण एवं सत्यापन नहीं किया जाता था एवं इनके कार्यान्वयन में इनकी भूमिका नकारात्मक एवं असहयोगात्मक थी।

5. वर्ष, 2008–09 में इंदिरा आवास (नव निर्माण एवं उन्नयन) का भौतिक लक्ष्य उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया था कि मार्गदर्शिका एवं जिला स्तर पर निर्गत निर्देशों के अनुरूप इंदिरा आवास के योग्य लाभुकों का दिनांक 16.05.2008 तक हर हालत में करते हुए एकरारनामा कर प्रथम किस्त की राशि विमुक्त किया जाय तथा दिनांक 17.05.2008 तक उपायुक्त, देवघर को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाय, परन्तु चार माह की अवधि बीतने के बाद भी इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। दिनांक 02.07.2008 को सम्पन्न जिला समन्वय समिति की बैठक में भी इनकी प्रगति शून्य रहने के कारण आवश्यक निदेश दिया गया था, परन्तु माह जुलाई के प्रतिवेदन में भी इनकी प्रगति शून्य रही। इनके द्वारा योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता था। मोहनपुन प्रखण्ड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

6. मोहनपुर प्रखण्ड में इंदिरा आवास योजना के वर्ष, 2007–08 की राशि पंचायत सेवकों को अग्रिम के रूप में दे दिया गया, जो पंचायत सेवकों के निजी खातों में लंबित पड़ा रहा। इसके कारण योजनाएँ अधूरी एवं लबित पड़ी रहीं एवं इसका लाभ लाभुकों को आरोपी पदा0 की लापरवाही एवं मनमानेपन के कारण नहीं मिला।

7. मोहनपुर प्रखण्ड के जमुनिया पंचायत के अन्तर्गत नावाकुरा में नरेगा के तहत् कार्यान्वित की जा रही सिंचाई कूप योजना में कार्यरत मजदूरों को योजना का कार्य 10 फीट ब्यास एवं 30 फीट की गहराई किये जाने के बावजूद मजदूरों के नाम से न तो खाता खोला गया और न ही मजदूरी को भुगतान सुनिश्चित् किया गया, जिसके कारण मजदूरों के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। स्थलीय जाँच के क्रम में इसमें बिचौलिए परशुराम यादव एवं कामदेव यादव की भूमिका प्रकाश में आई। योजना के मस्टर रॉल में फर्जी तरीके से कुछ हाजिरी बना दी गई थी, जिसमें अध्ययनरत छात्र का नाम अंकित था। जाँच के क्रम में आरोपी पदा0 द्वारा जाँच पदा0 को योजना से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सरकारी कार्य में इनके असहयोगात्मक रवैये का परिचायक है।

8. मोहनपुर प्रखण्ड के पंचायत भिखना एवं हरकट्टा में नरेगा के तहत् कार्यान्वित निम्न योजनाओं की जाँच के दौरान भिखना सिंचाई कूप निर्माण योजना सं0–04/07–08, भिखना तालाब निर्माण योजना सं0–03/07–08 तथा देवघर–सारवाँ मुख्य पथ से कर्णकोल ग्राम तक मिट्टी मोरम सड़क निर्माण योजना सं0–06/07–08 बंद पायी गयी एवं इनके कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता बरतने तथा मजदूरों की मजदूरी बिचौलियों द्वारा हड़प लिये जाने की बात प्रकाश में आई। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन में

S/

उदासीनता बरती गई एवं ससमय इनका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया। श्री सिंह का यह आचरण अपने कार्य के प्रति लापरवाही, दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता तथा कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता को दर्शाता है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1996, दिनांक 26.03.2009 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 07.04.2009 द्वारा समर्पित किया गया। इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–3674, दिनांक 02.06.2009 द्वारा उपायुक्त, देवघर से मंतव्य की माँग की गई। तत्पश्चात् पत्रांक–6100, दिनांक 05.09.2009 द्वारा स्मारित किया गया।

उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–1568, दिनांक 03.09.2009 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अनुशंसा किया गया। इसके आलोक में विभागीय पत्रांक–2729, दिनांक 12.05.2010 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई। विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्रांक–4672, दिनांक 06.07.2010 द्वारा उपायुक्त, देवघर के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उपायुक्त, देवघर के मंतव्य तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0–1883, दिनांक 09.04.2011 द्वारा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया तथा श्री विष्णु कुमार, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु श्री विष्णु कुमार, भा0प्र0से0 के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को विभागीय संकल्प सं0–6500, दिनांक 19.05.2012 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त), संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–41, दिनांक 31.01.2013 द्वारा समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं0–1, 2, 5, 6, 7 एवं 8 प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा आरोप सं0–3 एवं 4 के प्रसंग में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह को संदेह का लाभ दिया गया है।

श्री सिंह के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनकी तीन वेतनवृद्धियाँ संचायात्मक प्रभाव से रोकने के साथ–साथ निन्दन का दण्ड इन पर अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक–3456, दिनांक 25.04.

2013 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तत्पश्चात् पत्रांक–5669, दिनांक 28.06. 2013 एवं पत्रांक–7321, दिनांक 12.08.2013 द्वारा इसके लिए स्मारित किया गया।

श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्रांक–31, दिनांक 20.08. 2013 द्वारा समर्पित किया गया है। इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई ऐसा नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिसके आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके। अतः श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–11258, दिनांक–22.11.2013 द्वारा इनकी **तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ–साथ निन्दन का दण्ड** इनपर अधिरोपित किया गया।

राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–529, दिनांक–10.03.2014 के माध्यम से श्री सिंह का अपील अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ। श्री सिंह ने अपने अपील अभ्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य समर्पित नहीं किया है जिस पर पूर्व में दण्ड अधिरोपित किये जाने के समय में विचार नहीं किया गया हो। अतः श्री सिंह के अपील अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री (डॉ0) ज्योति कुमार सिंह, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–909/2014 का॰–1279/राँची, दिनांक 13 मई, 2015

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।